भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3459
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के रोगी

3459. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में देश में कैंसर रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कैंसर की दवाएं वहनीय दरों पर उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कैंसर के रोगियों को वहनीय दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कतिपय कैंसर औषधियों को अनुसूची में अधिसूचित किया है और उक्त औषधियों के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फार्मास्युटिकल्स कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर कैंसर की दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि सस्ती दरों पर उनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित हो सके?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आईसीएमआर - राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुलग्नक** में है।

(ख) से (ङ): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के नाम से समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए की गई थी, ताकि किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाइयाँ और 300 सर्जिकल उपकरण, जिनमें से 87 उत्पाद कैंसर के उपचार के लिए हैं, इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं।

सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण उपचार (अमृत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है जो कैंसर सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराती है। दिनांक 28.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 222 अमृत फार्मेसियां हैं, जो कैंसर सहित 6500 से अधिक दवाओं को विशेष छूट पर विक्रय कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल और निःशुल्क निदान सेवाएं जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर अनिवार्य दवाइयों और निदान को सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेबी खर्च में कमी आती

है। गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जिला और उप-मंडल अस्पतालों में अनिवार्य औषधियों की सूची में कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) अनुसूची-I से डीपीसीओ, 2013 में निर्दिष्ट दवाओं के संबंध में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के तहत अधिकतम मूल्य तय करता है। अनुसूची में शामिल दवाओं (ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों) के विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को एनपीपीए द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत (लागू माल और सेवा कर सहित) के भीतर विक्रय करना आवश्यक है। इसके अलावा, एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नई दवाओं का खुदरा मूल्य तय करता है। एक नई दवा का खुदरा मूल्य आवेदक विनिर्माता और विपणक पर लागू होता है, जिन्हें एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य के भीतर नई दवा बेचना आवश्यक है। गैर-सूचीबद्ध फॉर्मूलेशन के मामले में, एक विनिर्माता अपने द्वारा लॉन्च की गई दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, डीपीसीओ, 2013 के अनुसार, निर्माता को पिछले 12 महीनों के दौरान किसी गैर-सूचीबद्ध दवा के एमआरपी में एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त, जनहित में कतिपय परिस्थितियों में दवा की अधिकतम कीमत भी तय की जा सकती है।

डीपीसीओ, 2013 की उपर्युक्त अनुसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2022 शामिल है, जिसमें प्रतिरक्षादमनकारी और उपशामक परिचर्या में उपयोग की जाने वाली दवाओं सहित 63 कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं।

अन्यों सहित जनसाधारण के लिए कैंसर की दवाओं को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एनपीपीए ने एनएलईएम के तहत 131 सूचीबद्ध कैंसर रोधी दवाओं की अधिकतम कीमतें तय की हैं। इनमें 111 दवाएं शामिल हैं जिनकी कीमतें एनएलईएम, 2015 के तहत तय की गई थीं। एनएलईएम, 2022 के तहत इनके पुनर्निर्धारण से एनएलईएम, 2015 के तहत तय की गई अधिकतम कीमतों में लगभग 21% की कमी आई है, जिससे मरीजों को लगभग ₹294.34 करोड़ की वार्षिक बचत हुई है।
2. एनपीपीए ने नई औषधियों के खुदरा मूल्य निर्धारण से संबंधित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक विनिर्माण एवं विपणन कंपनियों के 28 कैंसर-रोधी फार्मूलों के खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।
3. इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में 42 गैर-सूचीबद्ध कैंसर-रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की सीमा तय कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप इन दवाओं के 526 ब्रांडों के एमआरपी में औसतन लगभग 50% की कमी आई है और रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई है।
4. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन कैंसर-रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया है और जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है तथा एनपीपीए ने कंपनियों को कर लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एमआरपी कम करने के निर्देश जारी किए हैं।
5. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में चिन्हित कैंसर-रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट/रियायत की भी घोषणा की गई है।

औषधियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, औषध विभाग वित्तीय वर्ष 2027-28 तक योजना की अवधि के लिए ₹15,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ औषधियों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत 54 कैंसर-रोधी दवाओं का विनिर्माण किया जाता है।

अनुलग्नक

भारत में विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कैंसर के मामलों की अनुमानित व्याप्तता - सभी साइट्स - दोनों लिंग					
राज्य	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	12396	12726	13060	13395	13744
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	279	286	294	302	309
हिमाचल प्रदेश	8589	8799	8978	9164	9373
पंजाब	37744	38636	39521	40435	41337
चंडीगढ़	994	1024	1053	1088	1120
उत्तरांचल	11216	11482	11779	12065	12348
हरियाणा	28453	29219	30015	30851	31679
दिल्ली	24436	25178	25969	26735	27561
राजस्थान	69156	70987	72825	74725	76655
उत्तर प्रदेश	196652	201319	206088	210958	215931
बिहार	101014	103711	106435	109274	112180
सिक्किम	443	445	465	496	525
अरुणाचल प्रदेश	1015	1035	1064	1087	1125
नागालैंड	1719	1768	1805	1854	1890
मणिपुर	1844	1899	2022	2097	2169
मिजोरम	1783	1837	1919	1985	2063
त्रिपुरा	2507	2574	2623	2715	2790
मेघालय	2808	2879	2943	3025	3099
असम	36948	37880	38834	39787	40721
पश्चिम बंगाल	105814	108394	110972	113581	116230
झारखंड	33045	33961	34910	35860	36840
उड़ीसा	49604	50692	51829	52960	54136
छत्तीसगढ़	27113	27828	28529	29253	30014
मध्य प्रदेश	75911	77888	79871	81901	84029
गुजरात	67841	69660	71507	73382	75290
दमन	118	124	135	150	161
दादरा एवं नगर हवेली	186	206	219	238	252
महाराष्ट्र	113374	116121	118906	121717	124584
तेलंगाना	46464	47620	48775	49983	51145
आंध्र प्रदेश	68883	70424	71970	73536	75086
कर्नाटक	83824	85968	88126	90349	92560
गोवा	1591	1618	1652	1700	1735
लक्षद्वीप	27	27	28	28	31
केरल	56148	57155	58139	59143	60162
तमिलनाडु	86596	88866	91184	93536	95944
पुदुच्चेरी	1523	1577	1623	1679	1753
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	357	366	380	393	401
कुल	**1358415**	**1392179**	**1426447**	**1461427**	**1496972**

*****